78 Trust Deed 1.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

प... ...ये Rs. 500

सत्यमेव जयते

...DIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश U... ...ESH

SEP 2016

Y 568955

सज कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट उर्फ राजू भ...
मो० 9415176581

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

न्यास विलेख

मैं सुमन मिश्रा पुत्री श्री श्यामा शरण मिश्रा आयु 31 वर्ष निवासी इमलिया गुरदयाल गोण्डा जिसको इस प्रलेख का संस्थापक न्यासकर्ता (मुख्य न्यासी) कहा गया है, इस प्रलेख के द्वारा एक न्यास कायम कर रही हूँ जिसका नाम Om Sai Universal Trust For Education Peace & Humanity होगा।

विदित हो कि मैंने एक न्यास प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु गठित किया है। इस न्यास के माध्यम से प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाएँ, चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च व्यावसायिक शिक्षा, आवासीय विद्यालय, चिकित्सालयों, औद्यौगिक विद्यालय, कृषि कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, प्रबन्धकीय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा आदि की स्थापना एवं संचालन करने का संकल्प है। न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली जनसेवाओं का सर्वधर्म सुखाय एवं सर्वधर्म हिताय लोगों की सहायता एवं सभी जाति समुदाय के कार्य करने व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए एवं सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। न्यास के गठन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैं।

1– यह कि न्यास का गठन रु0 11000 से आरम्भ किया जा रहा है।

2– यह कि संस्थापक न्यासकर्ता द्वारा स्थापित उक्त न्यास का पंजीकृत कार्यालय इमलिया गुरदयाल गोण्डा में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम परिपूर्ति के लिए इसके कार्यालय की शाखाएँ देश व प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जाएगी और उन कार्यालयों के पते उपरोक्त न्यास द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

27497

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 704246

3–सुमन मिश्रा के त्यागपत्र अथवा निधन के पश्चात् रिक्त हुए संस्थापक मुख्य न्यासी के पद पर मुख्य न्यासकर्ता के रूप में विधिक रूप से प्रभावी उत्तराधिकारी अधिनियमों की संगत व्याख्या एवं उत्तराधिकारी की परिभाषा के अनुरूप मेरे मुख्य न्यासी (सुमन मिश्रा) के उत्तराधिकारी मुख्य न्यासकर्ता के पद को ग्रहण करेंगी।

4– यह कि मैं सुमन मिश्रा अपने जीवन पर्यन्त उपरोक्त न्यास का संस्थापक मुख्य न्यासी रहूँगी तथा न्यास के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले समस्त कार्यों तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाओं का अध्यक्ष भी कही जाऊँगी। न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के न्यासी के रूप में नामित करती हूँ। मेरे द्वारा नामित निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में कार्य करने के लिए सहमति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जाएगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों का संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जाएगा। भविष्य में भी संस्थापक मुख्य न्यासी के रूप में मेरे जीवन पर्यन्त मेरे द्वारा स्वविवेक से अन्य लोगों को न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में नामित किए जाने का अधिकार मेरे द्वारा सुरक्षित होगा। मेरे द्वारा मुख्य न्यासी के पद से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरे निधन के उपरान्त इस न्यास प्रलेख के अनुसार मुख्य न्यासी के अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भी अपने जीवन पर्यन्त न्यास मण्डल के न्यासी के रूप में किसी भी व्यक्ति को नामित किए जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

3.

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 704249

न्यासमण्डल के न्यासियों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
01	सुमन मिश्रा	श्री श्यामा शरण मिश्रा	अध्यक्ष (मुख्य न्यासी)	इमलिया गुरदयाल गोण्डा	नौकरी	
02	अनीता	कैलाशनाथ	उपाध्यक्ष (न्यासी)	लखनगोण्डा बहराइच	सामाज सेवा	
03	रामावती मिश्रा	श्री श्यामा शरण मिश्रा	कोषाध्यक्ष (न्यासी)	इमलिया गुरदयाल गोण्डा	व्यापार	
04	श्यामा शरण मिश्रा	स्व श्री भगवान दास मिश्रा	सदस्य	इमलिया गुरदयाल गोण्डा	सेवा निवृत्त	
05	मंजरी मिश्रा	श्री श्यामा शरण मिश्रा	सदस्य	इमलिया गुरदयाल गोण्डा	नौकरी	

2—न्यास(ट्रस्ट) के उद्देश्यः—

1—ट्रस्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।

2— ट्रस्ट द्वारा पैरा मेडिकल, मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालय, डेन्टल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, एन0टी0टी0, आवासीय विद्यालयों, बी0टी0सी0, बी0एड0, टेक्निकल कॉलेजों एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

3—ट्रस्ट द्वारा गरीब और अनाथ बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना एवं निःशुल्क पोषण एवं प्रशिक्षण देना।

5.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 704248

4–ट्रस्ट द्वारा माध्यमिक एवं केन्द्रीय विद्यालय आदि का संचालन एवं प्रबन्ध करना।

5–ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रति पूर्ण रुझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।

6–ट्रस्ट द्वारा शैक्षिक, नैतिक एवं सामाजिक स्तर के सुधार हेतु ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों का भण्डारण करना तथा उसके माध्यम से लोगों में जागृति का संचार करना।

7–ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक/युवतियों एवं बालक/बालिकाओं के लिए खेलकूद व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

8–ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना।

9–ट्रस्ट द्वारा लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना।

10–ट्रस्ट द्वारा बालक/बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।

11–ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्द्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।

12–ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा अन्य कारणवश शिक्षा न प्राप्त करने अथवा बीच में ही छोड़ देने वाली महिलाओं, बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम कॉरेसपान्डेस कोर्स चलाना।

13– ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन निर्माण करना व प्रबन्धकीय व्यवस्था करना।

14–ट्रस्ट द्वारा श्रमिक वर्ग, खेतिहर वर्ग, निर्बल वर्ग, अल्पवर्ग, महिला वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, आदिवासी, मलिन वर्ग एवं गरीब सभी जाति वर्ग के लोगों हेतु तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।

15–ट्रस्ट द्वारा बालक एवं बालिकाओं को सफल बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, शार्ट हैंड, फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये **Rs.20**

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 34AA 704247

16—ट्रस्ट द्वारा वृद्ध, असहाय तथा अक्षम महिलाओं एवं पुरुषों हेतु वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

17— ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना। नदियों, जलाशयों की सफाई, मलिन बस्ती का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना।

18—ट्रस्ट द्वारा ग्राम्य विकास के लिए कार्य करना, कमज़ोर एवं निर्बल वर्गों को निःशुल्क आवास की व्यवस्था, ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना और भूमि संरक्षण का प्रयास करना।

19—ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को जागरुक बनाने हेतु जागरुकता शिविर लगाना। परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी दिलाना। शिशु पालन गृह का संचालन करना।

20—ट्रस्ट द्वारा समाजोत्थान हेतु संगोष्ठियों, परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना।

21—ट्रस्ट द्वारा साम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

22—ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला / दलित महिला के श्रम का श्रमार्जन करना।

23—ट्रस्ट द्वारा महिलाओं की सहभागिता पर आधारित कार्यों को बढ़ावा देने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु तकनीकी शिक्षा, पौष्टिक आहार पोषण, शुद्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग, स्वास्थ्य उत्थान, महिला समृद्धि योजना, ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रमों / परियोजनाओं का क्रियान्वयन / कार्यान्वयन व संचालन करना।

24— ट्रस्ट द्वारा विकलांगो, मूक—बधिरों, नेत्रहीनों, मंदबुद्धि, मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागादारी पर जोर देना ताकि शिक्षा तकनीकी, शिक्षा रोजगार परक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानवशक्ति विकास स्वच्छ शान्ति वातावरण सुरक्षा का दायित्व प्रदान करना। जिससे ये लोग समाज में प्रतिस्थापित हों और स्वावलम्बी बन सकें जैसे कार्य करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AA 704250

25– ट्रस्ट द्वारा हस्तकरघा, पापड़ उद्योग, नमकीन, खाद्य तलधानी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, ललित कला, संगीत, साहित्य अभिनय, गायन, वादन, फोटोग्राफी, क्रियेटिव राइटिंग, जरी कला, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, डॉल मेकिंग, फ्लॉवर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, पेंटिंग, वाल पेंटिंग, मूर्तिकला, पेंटिंग, हस्तकला, हस्तकागज, वस्त्र उद्योग, चिकन होजरी, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडीमेड गॉरमेंट्स, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उद्योग, मूर्तिकला, चित्रकला, काष्ठकला, हाथ कागज, लिफाफा, फाइबर गिलास, मसरूम कल्टीवेशन, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण, खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौधरोपड़, नर्सरी, वानकीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी, कताई, कम्प्यूटर, शार्टहैंड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि की उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं उक्त व्यवसाय में लगे लोगों का उत्थान करना।

26– ट्रस्ट द्वारा जड़ी–बूटी व औषधीय पौधों का प्रचार–प्रसार व संचालन एवं औषधीय पौधों के बारे में उपलब्धता और जागरूकता को बढ़ावा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान शिक्षा प्रसार–प्रचार की व्यवस्था करना व जड़ी–बूटियों की खेती करना।

27– ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण गंदी बस्तियों के प्रजनन व शिशुओं के लिए स्वास्थ्य मातृत्व जागरूकता तथा पौष्टिकता युक्त खाद्य पोषण, दवा व उपचार की उपलब्धता, व्यवस्था का प्रबन्ध करना।

28– जनसंख्या वृद्धि, परिवार कल्याण नियोजन, लिंगभेद, भ्रूणहत्या का निरोधन स्थिर रखने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार, व्यापक अभियान, स्वास्थ्य परिचर्चा का आयोजन करना तथा समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सूचना शिक्षा तथा संप्रेषण के माध्यम से सुदूर ग्रामों तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों को पहुँचाने का कार्य करना एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाऐं प्रदान करना।

29– एच0आई0वी0 / एड्स को नियंत्रित करना, न्यूरो मानसिक, कैंसर एवं समस्त असाध्य रोगों की रोकथाम–बचाव हेतु प्रयास करना एवं उक्त हेतु नई–नई औषधियों आदि का अन्य संस्थाओं आदि के सहयोग से अन्वेषण करना व कराना, पेटेन्ट कराना, वितरण करना कराना, चिकित्सालय शिविर, चिकित्सालय व मोबाइल चिकित्सालय खोलना व संचालन करना तथा यौन संचारित संक्रमणीय रोगों

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AC 491737

का उपचार करना और राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के बीच अधिक से अधिक जन जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य करना, पल्स पोलियो अभियान का कार्य करना।

30–ट्रस्ट द्वारा शहरी व ग्रामीण मलिन बस्तियों, जंगल वासियों, आदिवासियों व अतिकमजोर विस्थापित व अप्रवासी/प्रवासी गरीबों व निःसहाय लोगों की आवास, पोषण, पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराना व निर्माण संचालन प्रबन्धन सेवा परामर्श आदि कार्य करना।

31–ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

32–ट्रस्ट द्वारा धर्म के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक आदि का प्रकाशन कराना व उसे समुदाय में वितरण कराना।

33– ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान/पौष्टिकता सम्बन्धी जानकारी, पूरक पोषण को बढ़ावा, कम मूल्य के पोषण/पौष्टिक आहारों का प्रयोग किशोरियों/शिशुओं को पोषण/पौष्टिकता सम्बन्धी देखभाल पर विशेष बल एवं अनुश्रवण की व्यवस्था संचालन तथा प्रचार–प्रसार करना।

34– पर्यावरण तथा परिस्थितियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु संसाधनों का उपयोग करना एवं भौतिक कारकों में सामंजस्य स्थापित करना।

35–ट्रस्ट द्वारा कृषि का विविधिकरण उन्नत पद्धतियों द्वारा उत्पादन कर्ता को प्रोसाहित करना, भूमि संरक्षण, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जलसंचरण, जलसंचय तथा नमी संरक्षण का ज्ञान व प्रचार–प्रसार करना।

36– ट्रस्ट द्वारा सतत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाना। स्वैच्छिक कार्य सम्बन्धी राष्ट्रीय आँकड़ा संग्रहण के रूप में कार्य करना, उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रचार–प्रसार के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।

37–ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के लोगों की सहभागिता और स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त परियोजनाओं का संचालन व नेटवर्किंग करना तथा ग्रामीण स्वच्छता, स्वजल/पेयजल परियोजनाओं के कार्यक्रमों को संचालित करना।

8.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 491736

38- ट्रस्ट द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना, पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण, जनसंख्या नियत्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, वेश्यावृत्ति उन्मूलन, वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण कर दिशा–निर्देशन एवं प्रचार–प्रसार एवं रोकथाम करना। पर्यटन विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, हरियाली कार्यक्रम, ऊसर–बंजर भूमि सुधार, भूमि विकास, गौ संरक्षण, गौ पालन, पशु–पक्षी पालन, प्रदूषण रहित परियोजनाओं की व्यवस्था, निर्माण एवं संचालन करना, बाढ़/भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों/लोगों की मदद करना।

39- ट्रस्ट द्वारा बच्चों के अधिकार संरक्षण के उपाय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व प्रबन्धन करना जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ वातावरण, आवास व्यवस्था तथा शान्त वातावरण एवं सुरक्षा का दायित्व प्रदान करने का सुदूर ग्रामांचलों तक व्यवस्था करना।

40- ट्रस्ट द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषाओं के माध्यम से समाचार पत्र/पत्रिकाओं का संचालन व सम्पादन करना।

41- ट्रस्ट द्वारा सभी जाति वर्ग के सजायाफ्ता कैदियों/आजीवन कारावास कैदी के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने व समाज में पुर्नस्थापना व स्वावलम्बी बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधा व पुर्नवास के कार्यक्रमों का संचालन व व्यवस्था करना।

42- ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी /अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का एवं संस्था अपने द्वारा जारी सभी कार्यों/परियोजनाओं के प्रबन्धन, कार्यान्वयन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, शोध, सांख्यिकी, रिकार्ड, सर्वे के कार्यों का संचालन व मार्गदर्शक के रूप सम्पन्न कराना तथा कार्यशाला, विचार गोष्ठी का आयोजन व संचालन करना, अनुभवी प्रशिक्षकों व वैज्ञानिकों के सहयोग को उपलब्ध कराना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AC 491735

43–ट्रस्ट द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/व्यक्तिगत देशी/विदेशी परियोजनाओं का निर्माण, संचालन, सर्वेक्षण, अन्वेषण, उपस्कर भूमिगत निर्माण, अनुसंधान विकास कार्यान्वयन क्रियान्वयन, अनुश्रवण आदि का कार्य करना।

44– ट्रस्ट द्वारा मानव कल्याण हेतु शिक्षा, पोषण, आवास, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे आधारभूत आवश्यकताओं का सृजन, संरक्षण तथा उनके प्रति जागरूकता हेतु सभी संसाधनों का उपयोग करना।

45–ट्रस्ट द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़िवादी विचारों, अन्धविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रचार–प्रसार का आयोजन करना।

46– ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण एवं शहरी पेयजल तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र को उपयुक्त रीति से निर्धारण में सहायता करना तथा पेयजल श्रोत, स्वच्छता एवं जल संरक्षण के संचालन हेतु बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन आदि का निर्माण एवं रख–रखाव व प्रबन्धन करना।

47–ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क प्रौढ़ आँगनबाड़ी सेवा जनशिक्षण केन्द्र सहभागी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

48– समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग महिला समाज नेडा, शिफसा, यूनेस्को, यू0एन0डी0पी0, कपार्ट, यूनिसेफ, सिडवी, अवार्ड, नाबार्ड, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, वनविभाग, विकलांग एवं कुष्ठ विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, ट्राइसेम, डूडा, सूडा, जलनिगम, जल संसाधन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, सांसदनिधि, विधायक निधि, सैफ इंडिया, हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउंडेशन, नौराड आक्सफेम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ0प्र0 एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय स्वच्छकार वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग, विकलांग कल्याण निदेशालय , उद्यान विभाग, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, सीमैप द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास, कृषि विकास, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना व खादी ग्रामोद्योग आयोग से सभी प्रकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों को प्राप्त करना।

10.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 491734

49- ट्रस्ट द्वारा सभी देशी व अन्य अर्द्ध सरकारी विभागों व्यक्ति/व्यक्तियों स्वयं सेवी संगठनों से परियोजना सम्बन्धी सहयोग व परामर्श प्राप्त करने का कार्य तथा संचालन व प्रबन्धन करना तथा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यान्वियन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण व संचालन का कार्य करना।

50-ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु उनके अधिकारों को जन-जन तक ज्ञान पहुँचाने हेतु उनके कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

51- गाँवों में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व महिलाओं को मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार सम्बन्धी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं मत्स्य पालन के विकास के लिए तकनीकी शोध करना।

52- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित समस्त ग्राम उद्योगों की स्थापना करना।

53-ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु किसानों की सुविधा के लिए भण्डारगृह आदि की सुविधा उपलब्ध कराना व उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

54-ट्रस्ट द्वारा सोलर एनर्जी चूल्हे, स्ट्रीट लाइट आदि सोलर उपकरणों का भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे उपक्रमों को संचालित करना।

55-ट्रस्ट द्वारा सम्पूर्ण भारत एवं समस्त विश्व के किसी भी भाग में धर्मशाला, वृद्धाश्रम, अस्पताल, छात्रावास, आदि का निर्माण कराना।

56- ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य मेला, कवि सम्मेलन एवं मुशायरा, योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर आदि का आयोजन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 491733

57–ट्रस्ट द्वारा बेरोजगार एवं जरूरतमंद जन सामान्य को रोजगार हेतु ब्याज मुक्त धनराशि उपलब्ध कराना। ट्रस्ट को उक्त ब्याज मुक्त धनराशि उपलब्ध कराने के एवज मे दी गई ब्याज मुक्त धनराशि की सुरक्षा हेतु प्रतिभू लेने का अधिकार प्राप्त होगा।
58–ट्रस्ट द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में निःशुल्क रूप में सेवा प्रदान करना।

3– न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था:–

1–न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं की प्रबन्ध व्यवस्था न्यासमण्डल द्वारा सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर की जाएगी। इस प्रकार न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली विभिन्न इकाइयों की सुचारु प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए समिति एवं उपसमितियों का गठन किया जाएगा। गठित होने वाली प्रत्येक उपसमिति/समिति/प्रबंधसमिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि का अध्यक्ष मुख्य न्यासी होगा जिसे अध्यक्ष के पद नाम से भी जाना जाएगा। इस न्यास के अन्तर्गत गठित होने वाली प्रत्येक उपसमिति/समिति/प्रबंधसमिति/प्रबन्ध मण्डल इत्यादि के कार्यकारी अधिकार एवं वित्तीय अधिकार अध्यक्ष में निहित होंगे।
2– न्यास की बैठक सामान्यतः वर्ष में चार बार अर्थात् हर तीसरे माह आवश्यक रूप से सम्पन्न की जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह भी बैठक की जा सकती है। आकस्मिक स्थिति में माह में दो बार भी बैठक की जा सकती है। बैठक हेतु न्यास मण्डल के सदस्यों को सूचना देने का माध्यम संदेश पंजिका/पत्र/ई–मेल/मोबाइल फोन होगा। सामान्यतः बैठक की सूचना बैठक की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व प्रेषित कर दी जाएगी, किन्तु आकस्मिक स्थिति में 24 घण्टे के अन्दर सूचना देकर कभी भी बैठक आहूत की जा सकेगी।
3– बैठक का कोरम न्यास मण्डल के 50 प्रतिशत न्यासी की उपस्थिति पर पूर्ण माना जाएगा। सामान्य न्यास मण्डल के बैठक की अध्यक्षता संस्थापक मुख्य न्यासी द्वारा किसी अपरिहार्य कारण से निर्धारित

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 491732

बैठक की समय एवं तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में बैठक की कार्यवाही उत्तराधिकार अनुक्रम में न्यास मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

4– न्यास मण्डल के सभी निर्णय सर्वानुमति अथवा बहुमत के आधार पर लिए जाएँगे। न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा कार्य एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के निर्णयाधीन होगा। इसी प्रकार न्यास मण्डल के निर्णय से न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाले किसी भी कार्यक्रम/संस्था में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के निलंबन एवं समाप्ति का अधिकार भी न्यास मण्डल का होगा।

5– न्यास के अधीन संचालित होने वाले कार्यक्रम एवं संस्थाओं के सुचारु रूप से संचालन के लिए नियमानुसार यथावांछित समितियों, प्रबन्ध समितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि का पंजीकरण तत्सम्बन्धी नियामक संस्था शासन प्राधिकरण के अधिनियम, परिनियम एवं नियमावली के अनुसार अलग–अलग नियमावली बनाकर तथा उपनियमों का निर्माण करके किया जाएगा जिसका अनुमोदन सम्बन्धित नियामक संस्था प्राधिकरण, विश्वविद्यालय इत्यादि से प्राप्त किया जाएगा। न्यास मण्डल का विधिवत् गठन हो जाने के उपरान्त उक्त समितियों, प्रबन्धसमितियों तथा प्रशासनिक योजनाओं इत्यादि को न्यास गठन के अधिनियमों के अन्तर्गत न्यासमण्डल के निर्णयों से प्रभावी माना जाएगा तथा उसे कार्यक्रम/संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था समझा जाएगा। न्यास मण्डल को किसी भी संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था को आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

4–न्यास का कोश एवं वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था–

न्यास की स्थापना के उपरान्त मूल रूप से उपलब्ध कराए गए रु0 11000 के अतिरिक्त धन कोष, दान, अनुदान तथा सम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु न्यास के कोष एवं वित्त की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जाएगी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 491731

1– न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार का सदस्यता शुल्क लाभार्थियों द्वारा प्राप्त होने वाला शुल्क, दान, अनुदान, वित्तीय सहायता एवं सहयोग तथा सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों से प्राप्त व्यक्तिगत ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं से की जाने वाली ऋण राशियों से प्राप्त धनराशि को न्यास का कोश माना जाएगा।

2– न्यास मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय एवं सहमति से वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाई जा सकेगी। न्यास के कोश की व्यवस्था के लिए खाता/खाते किसी भी राष्ट्रीयकृत/मान्यताप्राप्त बैंक/डाकघर में ही खोला जाएगा। इस प्रकार खोले जाने वाले खातों का संचालन करने का अधिकार मुख्य न्यासी को स्वयं एकल रूप से अथवा किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से करने का अधिकार होगा। बैंक व वित्तीय संस्थाओ इत्यादि से ऋण, अनुदान के सम्बन्ध में चल–अचल सम्पत्ति बंधक व गिरवी रखने का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा तथा इसके सम्बन्ध में की गई औपचारिकता मुख्य न्यासी के हस्ताक्षर के द्वारा की जाएगी।

3– किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए चन्दे/दान की धनराशि तथा न्यास द्वारा अर्जित अथवा दान के रूप में प्राप्त होने वाली चल–अचल सम्पत्ति को न्यास के हित में ऋण हेतु गिरवी तथा बंधक रखने का अधिकार न्यासमण्डल को होगा। दान देने वाले व्यक्ति व उसके उत्तराधिकारियों को दान दी हुई सम्पत्ति पर कोई भी वैधानिक व कानूनी अधिकार नहीं होगा तथा स्वामित्व न्यास में निहित रहेगा।

4– न्यास के आय–व्यय का विवरण तथा लेखा–जोखा व्यवस्थित प्रकार से रखने का उत्तरदायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा जिसे प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा सम्परीक्षा हेतु निर्धारित नियमानुसार प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति पर सम्परीक्षित कराया जाएगा तथा न्यास का बजट प्रत्येक लेखावर्ष की समाप्ति के पूर्व न्यास मण्डल की बैठक से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा। वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 491730

5– विभिन्न वित्तीय संसाधनों से प्राप्त आय को विभिन्न मदों पर व्यय करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं में संलग्न अधिकारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों तथा कर्मचारियों इत्यादि के पारिश्रमिक एवं वेतन का भुगतान समय से किए जाने का दायित्व भी मुख्य न्यासी का होगा।

6– मुख्य न्यासी को अपने वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों को पूर्ण रूप से अथवा सीमित रूप से हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा तथा इस निमित्त आवश्यकतानुसार सम्बन्धित कार्यक्रमों/संस्थाओं/प्रबन्धसमितियों के नाम से विभिन्न बैंक में खाते इत्यादि खोलने एवं बन्द करने का अधिकार मुख्य न्यासी को प्राप्त होगा।

7– इस न्यास के अन्तर्गत सरकार से अनुदानित एवं संचालित होने वाली किसी भी संस्था की वित्तीय व्यवस्था आय–व्यय तथा वेतन भुगतान इत्यादि की व्यवस्था न्यासमण्डल की अनुमति से तत्सम्बन्धी शासकीय नियमों के अन्तर्गत किए जाने की व्यवस्था का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

5– न्यास की सम्पतियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था–

न्यास की सम्पत्तियों की प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जाएगी।

1– न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाएगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जाएगी, उस पर भी इस न्यास के अन्तर्गत निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी।

2– न्यास की ओर से न्यास की सम्पत्तियों सम्बन्धी दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी प्रमुख रूप से अधिकृत होगा। आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य न्यासी को भी अधिकृत कर सकेंगे।

3– न्यास की ओर से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय अथवा विक्रय करने, चल–अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही मुख्य न्यासी, न्यासमण्डल की अनुमति से कर सकेंगे। न्यासमण्डल की सर्वसम्मति से न्यास की सम्पत्तियों को

15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   83AC 491729

किराये पर जनहित के कार्य हेतु देने अथवा निर्धन एवं दुर्बल व्यक्ति को दान स्वरूप अथवा किराये पर अथवा पट्टे पर देने का निर्णय न्यासमण्डल की सर्वसम्मति से ही मान्य होगा।

4– न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यासमण्डल को प्राप्त होगा। न्यास व उसके अधीन संचालित कार्यक्रमों तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं संस्थाओं हेतु निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत गठित समितियों एवं प्रबन्ध समितियों तथा न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध न्यासमण्डल के निर्णय से की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही की अपील प्रथमतः मुख्य न्यासी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा मुख्य न्यासी उक्त अपील की सुनवाई करके लिया जाने वाला निर्णय अंतिम होगा।

5– न्यास के अन्तर्गत संचालित होने वाली किसी भी संस्था अथवा उसकी प्रबन्धसमिति के किन्हीं कारणोंवश भंग होने की दशा में प्रबन्धसमिति द्वारा संचालित संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति न्यास की मानी जाएगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी कारण से भंग होने वाली प्रबन्धसमिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य का उस संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा जब तक कि भंग प्रबन्धसमिति के स्थान पर विधिक रूप से स्थापित दूसरी प्रबन्धसमिति का अनुमोदन प्राप्त न हो जाए।

6– न्यास द्वारा अथवा न्यास के विरुद्ध योजित किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से किया जाएगा जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत अन्य न्यासी द्वारा सम्पन्न की जा सकेगी।

7– न्यास अपनी सम्पत्ति के प्रबन्धन एवं दिन–प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन पर/संविदा पर मानद रूप में करेगा तथा न्यासमण्डल न्यास के हित संवर्द्धन के लिए वह सभी कार्य करेगा जो आवश्यक हों तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | भारत | TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 491728

6– न्यास के अभिलेख–

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेख की रजिस्टर इत्यादि रखा जाएगा। लिहाजा बदुरुस्ती होश–ओ–हवास अपने बिना किसी जबरदस्ती व दबाव के अपनी खुशी व रज़ामंदी के गठन व स्थापना के बाबत यह न्यास विलेख निष्पादित कर दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।

न्यास द्वारा स्थापित, संचालित एवं सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं के लिए नियमावली (प्रशासन योजना) निम्नलिखित रूप से होगी:–

नियमावली

1– कार्यक्षेत्र–	जम्मू एंड कश्मीर के अतिरिक्त उत्तर–प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष।
2– न्यास के उद्देश्य–	न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार।
3– न्यास की सदस्यता–	न्यासमण्डल के मुख्य न्यासी व न्यासी साधारण सभा के सदस्य माने जाएँगे।
4– सदस्यता–	किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित कारणों से स्वतः समाप्त हो जाएगी। अ– सदस्य की मृत्यु हो जाने पर। ब– पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर। स– किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर। द– न्यास के नियमों का पालन न करने पर। य– न्यास के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर। र– लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। ल– त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर।

17.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AC 534617

व– अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर।

5– न्यास के अंग– न्यास के निम्नलिखित दो अंग होंगे–

1– साधारण सभा,
2– प्रबन्धसमिति।

6– साधारण सभा–

अ– गठन– न्यास के मुख्य न्यासी व न्यासी संयुक्त रूप से साधारण सभा के सदस्य होंगे।

ब– बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठक 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक तीन दिन पूर्व लिखित सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

स– गणपूर्ति– साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत के अतिरिक्त एक सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी, किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित सभा की आहूत बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा, समयावधि का प्रतिबन्ध न होगा, लेकिन एजेंडा के विषय पूर्ववत ही रहेंगे।

द– विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा के विशेष अधिवेशन वर्ष में एक बार किया जाएगा जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएगी।

य– साधारण सभा–

1–प्रबन्धसमिति का चुनाव करना।
2– वार्षिक आय–व्यय का बजट पारित करना।
3– न्यास की उन्नति के लिए नीति निर्धारित करना।
4– वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पारित करना।

10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 534618

5– न्यास को अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक अधिकार होगा।

6– संस्था के हित में संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन एवं परिवर्द्धन बहुमत से पारित करना।

प्रबन्धसमिति–

क– गठन–

1– प्रबन्धसमिति के कुल सदस्यों की संख्या 4 होगी।

2– प्रबन्धसमिति का गठन न्यासमण्डल के सदस्यों (साधारण सभा) की बैठक में चुनाव द्वारा बहुमत से किया जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक कोशाध्यक्ष होंगे, परन्तु अध्यक्ष पद हेतु अध्यक्ष का चयन साधारणा सभा द्वारा नही किया जाएगा, क्योंकि न्यास का मुख्य न्यासी ही न्यास के अन्तर्गत संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्धसमिति का अध्यक्ष होगा। यह शर्त न्यासी के उत्तराधिकारी पर भी लागू होगा।

3– प्रबन्धसमिति में न्यास द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/शिक्षक व कार्यालय कर्मचारी को मिलाकर न्यूनतम 02 पदेन सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकेगा।

4– प्रबन्धसमिति का कार्यकाल उसके गठन की तिथि से 05 वर्ष के लिए होगा, परन्तु अगली प्रबन्धसमिति के गठन तक पिछली प्रबन्धसमिति प्रभावी रहेगी।

ख– बैठकें–

प्रबन्धसमिति की बैठकें सामान्यता वर्ष में दो बार होंगी, किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबन्धसमिति इनके अतिरिक्त भी बैठकें कर सकता है।

ग– सूचना अवधि–

प्रबन्धसमिति सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों एवं पदाधिकारियों को कम से कम 07 दिन पूर्व आकस्मिक बैठक 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को सूचना रजिस्टर/डाक द्वारा/दूरभाष द्वारा दिया जा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 534619

सकता है। दूरभाष से सूचना देने की स्थिति में बैठक के दिन कार्यवाही रजिस्टर के साथ–साथ सूचना रजिस्टर पर उपस्थिति के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है।

घ– गणपूर्ति–

प्रबन्धसमिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 1/2 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। स्थगित बैठक को पुनः बुलाने पर कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

च– रिक्त स्थान की पूर्ति–

प्रबन्धसमिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर न्यासमण्डल साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

7– प्रबन्धसमिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य–

क– संस्था/शिक्षण संस्थान के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।

ख– संस्था/शिक्षण संस्थान का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

ग– आवश्यकतानुसारसंस्था/शिक्षण संस्थान के लिए भूमि क्रय करना व उस पर भवन निर्माण कराना एवं संस्था/शिक्षण संस्थान के हित में आवश्यकतानुसार क्रय–विक्रय करना एवं पट्टे पर लेना–देना।

घ– संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित उत्तर–प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत मानी गई सूचना व सम्बन्धित वांछित अभिलेखों को एकत्र करना व प्रदान करना।

ङ– राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का आयोजन करना, समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से सम्बन्धित सभी मंत्रालय, आयोग एवं विभागों, अनुसूचित जाति, जनजाति, वित्त निगम, उत्तर–प्रदेश पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, श्रम मंत्रालय, वित्त पोषक संस्थाओं, विश्व बैंक व अन्य विकासशील संस्थाओं से दान, अनुदान व आर्थिक सहायता, ऋण व धन के रूप में

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 534620

प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबल कार्यों में खर्च करना। आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति को बंधक/रेहन रखना।

8– प्रबन्धसमिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के अधिकार एवं कर्त्तव्य–

अ– अध्यक्ष–

1– समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।

2– बैठकों के लिए तिथि का अनुमोदन करना, तिथियों में परिवर्तन करना एवं बैठकों को स्थगित करना।

3–सदस्यों के नाम व कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना एवं सुनाना।

4–बैठकों की सूचना लिखित अथवा दूरभाष द्वारा देना।

5–संस्था/शिक्षण संस्थान का कार्यपालक होगा।

6– समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

7– संस्था/ शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।

8– सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।

9– वैतनिक कर्मचारियों/शिक्षकों/प्रशिक्षकों की नियुक्ति, निष्काषन, वेतनवृद्धि एवं पदोन्नति व बहाली करना।

10–संस्था/शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित बिल व बाउचरों, चेकों, अनुबन्ध पत्रों, नियुक्ति पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना एवं अपने पास सुरक्षित रखना।

11–संस्था/शिक्षण संस्थान की स्वीकृति की प्रत्याशी में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।

12– पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

13–संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से अदालती कार्यवाही करना या किसी को नियुक्त करना।

14–संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल–अचल सम्पत्ति की रक्षा करना एवं उस पर नियंत्रण करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 534621

15– राजकीय सहायता, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

16–संस्थान/शिक्षण संस्थान की ओर से केन्द्रीय/राज्य सरकारों एवं अन्य स्तरों पर प्रतिनिधित्व करना एवं समन्वय स्थापित करना।

17–संस्थान/शिक्षण संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप तैयार करना एवं हर स्तर पर उसका पालन सुनिश्चित करना।

18–संस्था/शिक्षणा संस्थान के कार्यक्रम के कार्यों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार दूसरे सदस्यों को वितरित करना।

ब– उपाध्यक्ष–

1– अध्यक्ष द्वारा समस्त कार्यों का निष्पादन करना।

2– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों को पूर्ण रूप देना।

3– बैठकों की लिखित सूचना तैयार करना।

4– अध्यक्ष की सहमति से समस्त कार्य करना।

स– सचिव–

1–संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त योजनाओं को चलाने का अधिकार व नियंत्रण होगा।

2– समस्त बिल, बाउचरों का अध्यक्ष की सहमति से हस्ताक्षर करना।

3– पारित वार्षिक बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति अध्यक्ष की सहमति से देना।

4–संस्था/शिक्षण संस्थान की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।

द–कोषाध्यक्ष–

1– सदस्यों के चन्दा व अन्य श्रोतों से धन प्राप्त कर यथाविधि रसीदें देना व प्राप्त धन को किसी निकटस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना।

2– अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों व बाउचरों का भुगतान करना।

22.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AC 534622

3–संस्था/शिक्षण संस्थान के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना तथा उसे अध्यक्ष से अनुमोदित कराकर न्यासमण्डल साधारण सभा में प्रस्तुत करना।

4–संस्था/शिक्षण संस्थान का प्रतिवर्ष का ऑडिट कराकर निरीक्षण हेतु अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।

9–संस्था/शिक्षण संस्था के कोष–

संस्था/शिक्षण संस्था के समस्त सम्बन्धित कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था/शिक्षण संस्थान के नाम से खाता खोलकर व एफ0डी0 के रूप में जमा किया जाएगा जिसका संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा अथवा अध्यक्ष के नाम से अध्यक्ष स्वयं संचालित करेगा।

संस्था/शिक्षण संस्थान के प्रबन्धसमिति के किन्हीं कारणोंवश भंग होने की दशा में प्रबन्धसमिति द्वारा संचालित संस्था/शिक्षण संस्थान की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, न्यास की मानी जाएगी तथा न्यास के मुख्य न्यासी का उस पर अधिकार होगा। भंग प्रबन्धसमिति के पदाधिकारी एवं सदस्य का उस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

–0–

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AC 534624

आज दिनांक 1-12-2016

राज कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट उर्फ राजू भल्ला
मो० 9415176581

रामावती

आलोक कुमार दुबे
3-3 आवास विकास कालोनी
(गोण्डा)

Braham Dyal tiwari s/o sri Ram Baror tiwari - Vill - Tinohana
Po - Rajapur Parsaura
Motiganj - Gonda

5740

स्टाम्प क्रमांक ________________ 1-12-16

स्टाम्प विक्रय की तिथि ____________

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ________

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ________

स्टाम्प की धनराशि ________ 10

राम सुरेश
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं0 32/04
तहसील परिसर, गोण्डा
हस्ताक्षर

आज दिनांक **01/12/2016** को

वही सं **4** जिल्द सं **46**

पृष्ठ सं **351** से **398** पर क्रमांक **78**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अबुल हसन (मनोजनिलि)
सब रजिस्ट्रार
गोण्डा(सदर)
1/12/2016